न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 1836 / 2000 / श्रीगंगानगर

1- मोमनराम (मृतक) जरिये कायम मुकाम :-
 1/1/- मु. शान्ति देवी पत्नि स्व. श्री मोमनराम
 1/2- ताराचन्द पुत्र स्व. श्री मोमनराम
 1/3- हीरादेवी पुत्री स्व. श्री मोमनराम
 1/4- मीरादेवी पुत्री स्व. श्री मोमनराम
 1/5- चन्द्रकान्ता पत्नि स्व. महावीर (मृतक) पुत्र श्री मोमनराम
 1/6- पंकज पुत्र श्री महावीर प्रसाद
 1/7- मोनिका पुत्री महावीर प्रसाद
 1/8- लक्ष्मीदेवी पुत्री महावीर प्रसाद
 समस्त जाति कुम्हार निवासीगण चक-2 जी-छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

------अपीलान्ट्स

बनाम

1- चरनजीत पुत्र श्री शंकरदास, जाति भाटिया निवासी चक-2 जी पोस्ट गोविन्दपुरा छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2- देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री शंकरदास भाटिया नावल्टी प्रिन्टर्स दुकान नम्बर-2, गणेश फलोर मिल बिल्डिंग लक्कड मंण्डी रोड श्रीगंगानगर।
3- हरीश कुमार पुत्र श्री शंकरदास) जाति भाटिया नावल्टी प्रिन्टर्स
4- श्रीमती लाजवन्ती बेवा श्री शंकरदास) दुकान नम्बर-2 गणेश फलोर मिल बिल्डिंग लक्कड मंडी रोड श्रीगंगानगर।

5- श्रीमती चंचल भाटिया पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री देवीदयाल भाटिया निवासी 666 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर।
6- श्रीमती कमलेश वर्मा पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री सुरेश वर्मा निवासी कमला कालोनी गजनेर रोड, बीकानेर।
7- श्रीमती सुदेश कुमारी पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री मदनमोहन सेनी निवासी द्वारा- चरणजीत भाटिया चक-2 जी, छोटी पोस्ट गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8- श्रीमती संतोश कुमारी पुत्र श्री श्री शंकरदास पत्नि श्री श्रवण माखिया निवासी अध्यापिका, सरस्वती कन्या महाविद्यालय, सरेसिया जिला हनुमानगढ।
9- श्रीमती सरोज पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री भूपेन्द्र कुमार भाटिया निवासी एस.एम. 44, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर	मोमनराम	बनाम	चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर	खेल कुमारी	बनाम	शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर	खेलकुमारी	बनाम	विजय

10- श्रीमती खेल कुमारी पत्नि श्री हरदयाल भाटिया निवासी-66 एन. ब्लाक श्रीगंगानगर।

11- श्रीमती अविनाश पत्नि श्री प्रीतपाल भाटिया निवासी 11 एफ. ब्लाक जिला श्रीगंगानगर।

12- विजयकुमार पुत्र श्री सरदार चन्द भाटिया निवासी 55 एच. ब्लाक जिला श्रीगंगानगर।

13- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

-------रेस्पोन्डेन्टस

उपस्थित :

श्री जे. पी. माथुर) अभिभाषक अपीलान्टस
श्री प्रदीप विश्नोई)
श्री सुनील कडवासरा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 1938 / 2000 / श्रीगंगानगर

विजयकुमार पुत्र श्री सरदार चन्द भाटिया निवासी चक 2 जी. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

------अपीलान्ट

बनाम

1- चरनजीत पुत्र श्री शंकरदास) अकवाम भाटिया निवासी
2- देवेन्द्रकुमार पुत्र श्री शंकरदास) चक 2 जी. छोटी तहसील
3- हरीश कुमार पुत्र श्री शंकरदास) व जिला श्रीगंगानगर।
4- श्रीमती लाजवन्ती बेवा शंकरदास)

5- श्रीमती चंचल भाटिया पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री देवीदयाल भाटिया निवासी 625 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर।

6- श्रीमती कमलेश वर्मा पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री सुरेश वर्मा निवासी कमला कालोनी, बीकानेर।

7- श्रीमती सुदेश कुमारी पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री मदनमोहन सैनी निवासी जालन्धर (पंजाब)

8- श्रीमती संतोश कुमारी पुत्र श्री श्री शंकरदास पत्नि श्री श्रवणकुमार माखिया निवासी अध्यापिका, सरस्वती कन्या महाविद्यालय, सरेसिया जिला हनुमानगढ।

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर	मोमनराम	बनाम	चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर	खेल कुमारी	बनाम	शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर	खेलकुमारी	बनाम	विजय

9– श्रीमती सरोज पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री भूपेन्द्र कुमार भाटिया निवासी एस.एम. 44, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।

10– श्रीमती खेल कुमारी पत्नि श्री हरदयाल भाटिया निवासी–66 एन. ब्लाक श्रीगंगानगर।

11– श्रीमती अविनाश पत्नि श्री प्रीतपाल भाटिया निवासी 11 एफ. ब्लाक श्रीगंगानगर।

12– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

-------रेस्पोन्डेन्टस

उपस्थित :
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अपीलान्टस
श्री सुनील कडवासरा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

(3) अपील डिक्री / टी.ए. / 2221 / 2000 / श्रीगंगानगर

विजयकुमार पुत्र श्री सरदार चन्द भाटिया निवासी चक 2 जी. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

------अपीलान्ट

बनाम

1– श्रीमती अविनाश पत्नि श्री प्रीतपाल भाटिया निवासी 11 एफ. ब्लाक श्रीगंगानगर।

2– श्रीमती खेल कुमारी पत्नि श्री हरदयाल भाटिया निवासी–66 एन. ब्लाक श्रीगंगानगर।

3– चरनजीत पुत्र श्री शंकरदास) अकवाम भाटिया निवासी

4– देवेन्द्रकुमार पुत्र श्री शंकरदास) चक 2 जी. छोटी तहसील

5– हरीश कुमार पुत्र श्री शंकरदास) व जिला श्रीगंगानगर।

6– श्रीमती लाजवन्ती बेवा शंकरदास)

7– श्रीमती चंचल भाटिया पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री देवीदयाल भाटिया निवासी 625 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर।

8– श्रीमती कमलेश वर्मा पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री सुरेश वर्मा निवासी कमला कालोनी, बीकानेर।

7– श्रीमती सुदेश कुमारी पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री मदनमोहन सैनी निवासी जालन्धर (पंजाब)

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर	मोमनराम	बनाम	चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर	खेल कुमारी	बनाम	शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर	खेलकुमारी	बनाम	विजय

8- श्रीमती संतोश कुमारी पुत्र श्री श्री शंकरदास पत्नि श्री श्रवणकुमार माखिया निवासी अध्यापिका, सरस्वती कन्या महाविद्यालय, सरेसिया जिला हनुमानगढ।

9- श्रीमती सरोज पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री भूपेन्द्र कुमार भाटिया निवासी एस.एम. 44, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।

10- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

-------रेस्पोन्डेन्टस

उपस्थित :

श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अपीलान्टस

श्री सुनील कडवासरा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

(4) अपील डिक्री / टी.ए. / 2618 / 2000 / श्रीगंगानगर

श्रीमती अविनाश पत्नि श्री प्रीतपाल भाटिया निवासी 11 एफ. ब्लाक श्रीगंगानगर।

------अपीलान्ट

बनाम

1- चरनजीत पुत्र श्री शंकरदास) अकवाम भाटिया निवासी

2- देवेन्द्रकुमार पुत्र श्री शंकरदास) चक 2 जी. छोटी तहसील

3- हरीश कुमार पुत्र श्री शंकरदास) व जिला श्रीगंगानगर।

4- श्रीमती लाजवन्ती बेवा शंकरदास भाटिया निवासी 2 जी. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5- श्रीमती चंचल भाटिया पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री देवीदयाल भाटिया निवासी 625 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर।

6- श्रीमती कमलेश वर्मा पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री सुरेश वर्मा निवासी कमला कालोनी, बीकानेर।

7- श्रीमती सुदेश कुमारी पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री मदनमोहन सैनी निवासी जालन्धर (पंजाब)

8- श्रीमती संतोश मखीजा पुत्र श्री श्री शंकरदास पत्नि श्री श्रवणकुमार निवासी हनुमानगढ।

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर	मोमनराम	बनाम	चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर	खेल कुमारी	बनाम	शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर	खेलकुमारी	बनाम	विजय

9- श्रीमती सरोज पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री भूपेन्द्र कुमार भाटिया निवासी एस.एम. 44, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।

10- श्रीमती खेल कुमारी पत्नि श्री हरदयाल भाटिया निवासी-66 एन. ब्लाक श्रीगंगानगर।

11- श्रीमती शान्ति देवी भाटिया बेवा सरदारचन्द भाटिया निवासी 55 एच. ब्लाक, श्रीगंगानगर।

12- विजयकुमार पुत्र श्री सरदार चन्द भाटिया निवासी चक 2 एच. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

13- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

-------रेस्पोन्डेन्टस

उपस्थित :

श्री सतबीर सिंह, अभिभाषक अपीलान्टस

श्री सुनील कडवासरा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

(5) अपील डिक्री / टी.ए. / 3976 / 2000 / श्रीगंगानगर

श्रीमती अविनाश पत्नि श्री प्रीतपाल भाटिया निवासी 11 एफ. ब्लाक श्रीगंगानगर।

------अपीलान्ट

बनाम

1- चरनजीत पुत्र श्री शंकरदास) अकवाम भाटिया निवासी
2- देवेन्द्रकुमार पुत्र श्री शंकरदास) चक 2 जी. छोटी तहसील
3- हरीश कुमार पुत्र श्री शंकरदास) व जिला श्रीगंगानगर।

4- श्रीमती लाजवन्ती बेवा शंकरदास भाटिया निवासी 2 जी. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5- श्रीमती चंचल भाटिया पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री देवीदयाल भाटिया निवासी 625 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर।

6- श्रीमती कमलेश वर्मा पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री सुरेश वर्मा निवासी कमला कालोनी, बीकानेर।

7- श्रीमती सुदेश कुमारी पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री मदनमोहन सैनी निवासी जालन्धर (पंजाब)

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर	मोमनराम	बनाम	चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर	खेल कुमारी	बनाम	शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर	खेलकुमारी	बनाम	विजय

8– श्रीमती संतोश मखीजा पुत्र श्री श्री शंकरदास पत्नि श्री श्रवणकुमार निवासी हनुमानगढ।

9– श्रीमती सरोज पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री भूपेन्द्र कुमार भाटिया निवासी एस.एम. 44, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।

10– श्रीमती खेल कुमारी पत्नि श्री हरदयाल भाटिया निवासी–66 एन. ब्लाक श्रीगंगानगर।

11– श्रीमती शान्ति देवी भाटिया बेवा सरदारचन्द भाटिया निवासी 55 एच. ब्लाक, श्रीगंगानगर।

12– विजयकुमार पुत्र श्री सरदार चन्द भाटिया निवासी चक 2 एच. छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

13– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

-------रेस्पोन्डेन्टस

उपस्थित :

श्री सतबीर सिंह, अभिभाषक अपीलान्टस

श्री सुनील कडवासरा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

(6) अपील डिक्री / टी.ए. / 6651 / 2018 / श्रीगंगानगर

श्रीमती खेल कुमारी पत्नि श्री हरदयाल भाटिया निवासी–66 एन. ब्लाक श्रीगंगानगर।

------अपीलान्ट

बनाम

1– शंकरदास पुत्र अमीरचन्द भाटिया निवासी 2 जी. छोटी श्रीगंगानगर (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/1– चरनजीत पुत्र श्री शंकरदास) अकवाम भाटिया निवासी
1/2– देवेन्द्रकुमार पुत्र श्री शंकरदास) चक 2 जी. छोटी तहसील
1/3– हरीश कुमार पुत्र श्री शंकरदास) व जिला श्रीगंगानगर।
1/4– श्रीमती लाजवन्ती बेवा शंकरदास)

1/5– श्रीमती चंचल भाटिया पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री देवीदयाल भाटिया निवासी 625 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर।

1/6– श्रीमती कमलेश वर्मा पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री सुरेश वर्मा निवासी कमला कालोनी, बीकानेर।

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर	मोमनराम	बनाम	चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर	खेल कुमारी	बनाम	शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर	खेलकुमारी	बनाम	विजय

1/7- श्रीमती सुदेश कुमारी पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री मदनमोहन सैनी निवासी जालन्धर (पंजाब)
1/8- श्रीमती संतोश मखीजा पुत्र श्री श्री शंकरदास पत्नि श्री श्रवण कुमार निवासी हनुमानगढ।
1/9- श्रीमती सरोज भाटिया पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री भूपेन्द्र भाटिया निवासी जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।

2- श्रीमती अविनाश पत्नि श्री प्रीतपाल भाटिया निवासी 11 एफ. ब्लाक श्रीगंगानगर।
3- विजयकुमार पुत्र श्री सरदार चन्द भाटिया निवासी चक 55 एच., ब्लाक छोटी तहसील व
जिला श्रीगंगानगर।
4- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

-------रेस्पोन्डेन्टस

उपस्थित :
श्री मनीष पाण्डया, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री सुनील कडवासरा) अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस
श्री हरीश भाटिया)

(7) अपील डिक्री / टी.ए. / 6662 / 2018 / श्रीगंगानगर

श्रीमती खेल कुमारी पत्नि श्री हरदयाल भाटिया निवासी-66 एन. ब्लाक श्रीगंगानगर।

------अपीलान्ट

बनाम

1- विजयकुमार पुत्र श्री सरदार चन्द भाटिया निवासी एच., जिला श्रीगंगानगर।
2- श्रीमती अविनाश पत्नि श्री प्रीतपाल भाटिया निवासी 11 एफ. ब्लाक श्रीगंगानगर।
3- श्रीमती शशि पत्नि सुनीलवीर पुत्री सरदारचन्द भाटिया निवासी श्रीगंगानगर।
4- शंकरदास पुत्र अमीरचन्द भाटिया निवासी 2 जी. छोटी श्रीगंगानगर (मृतक) जरिये वारिसान :-

1/1- चरनजीत पुत्र श्री शंकरदास) अकवाम भाटिया निवासी
1/2- देवेन्द्रकुमार पुत्र श्री शंकरदास) चक 2 जी. छोटी तहसील
1/3- हरीश कुमार पुत्र श्री शंकरदास) व जिला श्रीगंगानगर।
1/4- श्रीमती लाजवन्ती बेवा शंकरदास)

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर मोमनराम बनाम चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर खेल कुमारी बनाम शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर खेलकुमारी बनाम विजय

1/5- श्रीमती चंचल भाटिया पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री देवीदयाल भाटिया निवासी 625 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर।
1/6- श्रीमती कमलेश वर्मा पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री सुरेश वर्मा निवासी कमला कालोनी, बीकानेर।
1/7- श्रीमती सुदेश कुमारी पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री मदनमोहन सैनी निवासी जालंधर(पंजाब)
1/8- श्रीमती संतोश मखीजा पुत्र श्री श्री शंकरदास पत्नि श्री श्रवण कुमार निवासी हनुमानगढ।
1/9- श्रीमती सरोज भाटिया पुत्री श्री शंकरदास पत्नि श्री भूपेन्द्र भाटिया निवासी जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।

-------रेस्पोण्डेन्ट्स

उपस्थित :
श्री मनीष पाण्डया, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री सुनील कडवासरा) अभिभाषक रेस्पोण्डेन्ट्स
श्री हरीश भाटिया)

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य

दिनांक : 12 सितम्बर, 2018

निर्णय

1- इन सातों अपीलों में समान तथ्य व समान पक्षकार व निर्धारण योग्य बिन्दु समान होने के कारण इन सभी अपीलों का निर्णय एक साथ ही किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में अलग अलग लगायी जावे। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि :-

2- सर्व प्रथम एक दावा न्यायालय सहायक कलेक्टर, श्रीगंगानगर के यहां (101/86) खेल कुमारी पुत्री सरदारचन्द द्वारा बाबत मुरब्बा नम्बर-17 के 25 बीघा वाके चक 2 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के संबंध में प्रस्तुत किया कि उसे इस आराजी के 12 बीघा 10 बिस्वा में से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर बंटवारा किया जाकर 1/3 हिस्से का कब्जा दिलाया जावे।

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर मोमनराम बनाम चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर खेल कुमारी बनाम शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर खेलकुमारी बनाम विजय

3- द्वितीय दावा (124/82) सुमित्रा देवी बेवा सरदारचन्द के द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर, श्रीगंगानगर के अन्तर्गत धारा-183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मुरब्बा नम्बर-17 की 10 बीघा 10 बिस्वा पर काबिज काश्त चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में भी 12 बीघा 10 बिस्वा पर उसका नाम दर्ज है। इस भूमि पर विजय कुमार ने नाजायज कब्जा कर रखा है। अतः उसके कब्जे काश्त की भूमि पर से उसे बेदखल किया जावे।

4- तृतीय दावा (14/82) शंकरदास के द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर, श्रीगंगानगर के दावा बाबत इस्तकरारहक हुक्म इम्तनाईद्वामी का प्रस्तुत किया कि उसके पिता अमीरचन्द द्वारा एक वसीयत उसके पक्ष में दिनांक 23-8-1960 को निष्पादित कर दी थी। पिता अमीरचन्द की मृत्यु के बाद अमीरचन्द की सम्पूर्ण आराजीयात मुकदमा नम्बर-17 व 36 की कुल भूमि 47 बीघा 10 बिस्वा का तन्हा खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि विवादग्रस्त आराजीयात के किसी हिस्से को किसी व्यक्ति के पक्ष में मुन्तकिल नहीं करें तथा मुकदमा नम्बर-17 के 12 बीघा 10 बिस्वा का कब्जा दिलवाया जावे।

5- दौराने दावा खेल कुमारी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा में संशोधन चाहा गया कि पारिवारिक व्यवस्था इकरारनामा दिनांक 18-3-1961 के अनुसार वादिया व अविनाश कुमारी 6 बीघा 5 बिस्वा की हकदार है। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर संशोधन की अनुमती दी गयी।

6- न्यायालय सहायक कलेक्टर, श्रीगंगानगर के द्वारा तीनों दावों को कन्सोलिडेट करने के आदेश दिये गये एवं निम्नांकित तनकीयात बनाई गई :-

6/1- आया वादग्रस्त आराजियात चक नम्बर-2 जी. छोटी के मु. नं. 17 की 25 बीघा के वादिया खेल कुमारी एवं प्रतिवादीगण सुमित्रा देवी (मृत), शांतिदेवी, अविनाश कुमारी - विजयकुमार का सहखातेदारी का हक बनता है। यदि हां तो कितने हिस्से का किस आधार पर, **(वादी व प्रतिवादी)**

6/2- आया उक्त आराजी के संबंध में शंकरदास भी पाने का अधिकारी है। यदि हां तो किस कदर, **(उभयपक्ष)**

6/3- दादरसी।

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर मोमनराम बनाम चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर खेल कुमारी बनाम शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर खेलकुमारी बनाम विजय

7– विचारण न्यायालय ने सभी पक्षों की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 27–5–1991 में यह माना है कि उभय पक्षकारान ने दोनों तनकियात पर संयुक्त रूप से बहस इस कारण की है कि विवाद केवल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का ही है जो सुमित्रा देवी को पारिवारिक व्यवस्था दिनांक 18–3–1961 के अनुसार मिली थी। मुख्य बिन्दू निर्णय योग्य यह है कि मु. नं. 17 बी 12 बीघा 10 बिस्वा का सही हकदार कौन है। सभी पक्ष इस बात को स्वीकार करते हैं कि दिनांक 18–3–1961 को जायदाद संबंधी झगडों से बचने के लिये अमीरचन्द ने पारिवारिक व्यवस्था हेतु इकरारनामा किया था जो सभी की सहमती से हुआ था। इस पारिवारिक व्यवस्था पर अमीरचन्द स्वयं, शंकरदास, सुमित्रादेवी, खेलकुमारी, शान्ता एवं गवाह मदनलाल व गुरूदयाल भाटिया ने हस्ताक्षर किये हैं और यह बात शंकरदास ने अपने क्रास बयान दिनांक 23–4–1990 में खेल कुमारी ने अपने बयान दिनांक 28–11–1983, हरदयाल भाटिया ने अपने बयान दिनांक 9–12–1983, मदनलाल भाटिया ने अपने बयान दिनांक 16–12–1983, विजय कुमार ने अपने बयान दिनांक 17–4–1990, शान्ता भाटिया ने अपने बयान दिनांक 18–6–1990 व सुमित्रा देवी ने अपने दावे में भी मानी है। यह बिन्दू तो निर्विवाद है कि पारिवारिक व्यवस्था हेतु दिनांक 18–3–1961 को इकरारनामा किया गया है। इकरारनामा सभी पक्षों की सहमती से हुआ था। यह व्यवस्था अमीरचन्द व उसके परिवार के सदस्यों ने जमींन जायदाद के झगडों से बचने के लिये की गयी थी। अमीरचन्द द्वारा इससे पूर्व एक वसीयत दिनांक 23–8–1960 को शंकरदास के पक्ष में की गयी थी। यह प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट है। यह वसीयत अकेले अमीरचन्द ने शंकरदास के पक्ष में की थी। जबकि इसके विपरीत दिनांक 18–3–1961 को पारिवारिक व्यवस्था अमीरचन्द ने ही सभी सदस्यों की सहमती से की है। जिस पर शंकरदास के भी हस्ताक्षर है। जिससे इस प्रकार के वाद में पारिवारिक व्यवस्था संबंधी इकरारनामा प्रभाव में रहता है, ना कि पूर्व में की गयी वसीयत। यह वसीयत से उसी समय से ही प्रभावहीन हो जाती है, जब से पारिवारिक व्यवस्था हेतु इकरारनामा कर लिया गया था। यह बिन्दू भी सोचनीय हो जाती है कि जब इकरारनामा किया गया था तब शंकरदास ने पूर्व में की गयी वसीयत के बिन्दु को क्यों नहीं उठाया है। यदि शंकरदास को इससे असहमती थी तो उसे पारिवारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये थे। प्रतिवादी शंकरदास ने दावा 1981 में पेश किया गया था। जिससे यह स्पष्ट है कि उसे 1961 से 1980 तक कोई विवाद नहीं था और अब वसीयत की आड में शंकरदास विवादित भूमि का कब्जा चाहता है।

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर मोमनराम बनाम चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर खेल कुमारी बनाम शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर खेलकुमारी बनाम विजय

8– वसीयत जो शंकरदास के पक्ष में दिनांक 23–8–1960 को की गयी है उसमें केवल एक व्यक्ति की ही सहमती है। जबकि पारिवारिक व्यवस्था हेतु किये गये इकरारनामा दिनांक 18–3–1961 पर सभी पक्षकारों की सहमती है। अमीरचन्द द्वारा की गयी वसीयत को अपने जीवनकाल में बदलने का अधिकार था जो स्वतः ही पारिवारिक व्यवस्था हेतु किये गये इकरारनामा से प्रभावहीन हो गया है। क्योंकि यह इकरारनामा वसीयतकर्ता अमीरचन्द के द्वारा शंकरदास व परिवार के अन्य सदस्यों की सहमती से ही किया गया है। इसके अतिरिक्त वाद संख्या–24/1982 सुमित्रा देवी बनाम शंकरदास में जो जवाबदावा दिनांक 1–11–1980 को पेश किया गया है उसके पैरा संख्या–5 में यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि इकरारनामा की मद–10 के मुताबिक सुमित्रा देवी को उपरोक्त जायदाद के किसी हिस्से को बेचने या मुन्तकिल करने का कोई अखत्यार नहीं था, बल्कि उसे जीवन पर्यन्त ही जायदाद का उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकार था।

9– सुमित्रा की मृत्यु के पश्चात तमाम जायदाद खेल कुमारी एवं अविनाश कुमारी को प्राप्त होगी। इससे भी यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि शंकरदास को पारिवारिक व्यवस्था हेतु किये गये इकरारनामा दिनांक 18–3–1961 की पूर्ण जानकारी थी। शंकरदास को यह भी जानकारी थी कि अमीरचन्द अपने जीवनकाल में पारिवारिक व्यवस्था हेतु इकरारनामा कर सकता है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी माना है कि इकरारनामा को पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है जो दो माह में होना चाहिये था। ए.आई. आर. 1976 पेज–807 के अनुसार पारिवारिक व्यवस्था हेतु किये गये इकरारनामा का पंजियन होना आवश्यक नहीं है। किसी भी पक्षकार ने इकरारनामा दिनांक 18–3–1961 को चैलेन्ज नहीं किया है। विवादित भूमि सुमित्रा देवी व शंकरदास के नाम राजस्व रिकार्ड में आ चुकी है। शंकरदास की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि विवादित भूमि पर उसका ही कब्जा रहा है। अतः शंकरदास को तथाकथित वसीयत दिनांक 23–8–1960 के अनुसार विवादित भूमि का कब्जा नहीं दिया जा सकता है। शंकरदास 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि पाने का अधिकारी नहीं है। तनकी नम्बर–2 शंकरदास के विरूद्ध व वादिनी के हक में तय की जाती है। जहां तक विजय कुमार इस भूमि पर अपना हक वसीयत दिनांक 5–3–1980 से मानता है। यह तथ्य मानने योग्य नहीं है। वसीयत सुमित्रा देवी द्वारा की गयी है। सुमित्रा देवी को विवादित भूमि पारिवारिक व्यवस्था हेतु किये गये इकरारनामा से प्राप्त हुई है। पारिवारिक व्यवस्था हेतु

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर मोमनराम बनाम चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर खेल कुमारी बनाम शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर खेलकुमारी बनाम विजय

किये गये इकरारनामा की अन्य शर्तो की भी पालना आवश्यक है। जिसके अनुसार सुमित्रा देवी की मृत्यु के पश्चात खेल कुमारी व अविनाश कुमारी बराबर बराबर की हकदार है। शर्तो में यह भी अंकित है कि सुमित्रा देवी को रहन बय मुन्तकिल करने का कोई अधिकार नहीं होगा तो फिर सुमित्रा देवी इन शर्तो के विपरीत वसीयत कैसे कर सकती थी। विजय कुमार के द्वारा वसीयत के आधार पर कोई अलग से दावा भी नहीं किया गया है। विजय कुमार सरदार चन्द का बेटा है, जो शांती से है। शांती को पारिवारिक समझौते के अनुसार मुकदमा नम्बर–17 की 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि दी गई है जो रिकार्ड में इसी के नाम है। विजय कुमार विवादित भूमि को तथा कथित सुमित्रा देवी को वसीयत दिनांक 5–3–1980 के आधार पर लेना चाहता है, ताकि खेल कुमारी व अविनाश कुमारी का हक मारा जा सके जो उन्हें पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्गत बराबर बराबर 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि दी गयी है। तथाकथित वसीयत के आधार पर विजय कुमार का कोई हक नहीं होने से उसे विवादित भूमि का कब्जा नहीं दिया जा सकता है।

10– विवादित भूमि वादिनी खेलकुमारी व प्रतिवादी नम्बर–3 अविनाश कुमारी बराबर बराबर की हकदार है। अतः तनकी नम्बर–1 वादिनी खेल कुमारी व प्रतिवादी नम्बर–3 अविनाश कुमारी के हक में तय की जाती है। अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मुकदमा नम्बर–17 की 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 6 बीघा 5 बिस्वा की हकदार वादिनी खेल कुमारी व 6 बीघा 5 बिस्वा की हकदार अविनाश कुमारी होगी।

11– न्यायालय सहायक कलेक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27–5–1991 के विरूद्ध दो अलग अलग अपीलें राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रस्तुत की गयी। प्रथम अपील 34/1991 विजय कुमार के द्वारा प्रस्तुत की गयी एवं द्वितीय अपील 77/1991 शंकरदास के द्वारा पेश की गयी है। दोनों अपीलों का निस्तारण आदेश दिनांक 6–6–2000 के द्वारा किया गया। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 6–6–2000 में यह माना है कि विचाराधीन प्रकरण में इकरारनामा लिखित में है। जिससे उसका पंजीयन होना आवश्यक है। इकरारनामा में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि अमीरचन्द ने जो वसीयत शंकरदास के पक्ष में की थी। उसको निरस्त कर दिया गया हो। शंकरदास ने अपने बयानों में यही बताया है कि अमीरचन्द के द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात की वसीयत उसके

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर	मोमनराम	बनाम	चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर	खेल कुमारी	बनाम	शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर	खेलकुमारी	बनाम	विजय

पक्ष में की थी। इस वसीयत को निरस्त नहीं किया गया है। शान्ति देवी ने भी अपने बयानों में बताया है कि वसीयत कब की गयी, उसकी जानकारी नहीं है। फिर कहा की वसीयत झूंठी है। पारिवारिक व्यवस्था के गवाह मदनलाल व गुरुदयाल द्वारा भी उन्हें नहीं बताया गया है कि वसीयत की गयी है।

12– विद्वान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के द्वारा प्रकरण संख्या–3/69 दिनांक 23–2–1972 में इकरारनामा की नकल पेश की गयी है जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है किन्तु दिनांक 18–3–1961 का है जिससे वसीयत अमीरचन्द दिनांक 23–8–1960 का मकसद ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि इकरारनामा अमीरचन्द द्वारा वसीयत के बाद लिखा गया है। अतः विद्वान सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का निर्णय सही नहीं है। इस निर्णय के आधार पर राजस्व अभिलेख में जो भी अंकन किया गया है उसे सही नहीं माना जा सकता है।

13– उन्होंने अपने दस्तावेज में यह भी माना है कि सुमित्रा देवी के जीवनकाल में खेल कुमारी को कोई हक नहीं मिलता है और सुमित्रा देवी को भूमि हस्तान्तरण करने का अधिकार भी नहीं है। इसलिये खेल कुमारी का वाद डिक्री करने में विचारण न्यायलय ने भूल की है। फलस्वरूप तनकी संख्या–1 का निर्णय वादिया खेल कुमारी व प्रतिवादिया अविनाश कुमारी के पक्ष में तय करने में भूल की है।

14– खेल कमारी के वाद के अलावा सुमित्रादेवी ने धारा–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व शंकरदास ने भी धारा–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दावा पेश किया था जिस पर विचारण न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया है। जबकि तीनों वादों को कन्सोलिडेट करने के बाद जो निर्णय दिया है उससे इन शेष दो दावों पर भी निर्णय देना अपेक्षित था। खेल कुमारी व सुमित्रा देवी ने पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर कोई हक प्राप्त नहीं होते हैं। अतः दोनों दावा संख्या–101/86 व 32/81 आंशिक निरस्त योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के अनुसार यदि कोई निर्वसीयत करता है तो उत्तराधिकार प्रभावी होता है। लेकिन इस प्रकरण में अमीरचन्द की वसीयत शंकरदास के पक्ष में निर्विध्न रूप से निष्पादित होकर विद्यमान है। फलस्वरूप वाद बिन्दू संख्या–2 का निर्णय शंकरदास के पक्ष में किया जाता है। अतः शंकरदास की अपील संख्या–77/91 स्वीकार योग्य है एवं विजय कुमार की अपील संख्या–34/91 में उप खण्ड अधिकारी

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर मोमनराम बनाम चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर खेल कुमारी बनाम शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर खेलकुमारी बनाम विजय

का निर्णय व डिक्री दिनांक 27-5-1991 को निरस्त किये जाने की सीमा तक स्वीकार योग्य है, किन्तु खातेदार घोषित किये जाने की सीमा तक अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

15- अतः अपील संख्या-77/91 पूर्णरूप से और अपील संख्या-34/91 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और उप खण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का निर्णय दिनांक 27-5-1991 निरस्त किया जाता है। अपीलान्ट / वादी शंकरदास का दावा संख्या-2/81 स्वीकार किया जाकर मुकदमा नम्बर-17 व 36 की 47 बीघा 10 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है व मुकदमा नम्बर-17 की 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण शान्ति देवी, विजय कुमार व खेल कुमारी से दिलाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादियों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि इनके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें।

16- न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 6-6-2000 के अलग अलग सात अपीलें प्रस्तुत की गयी है जिनका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है :-

1- अपील संख्या-2618/2000 (अविनाश कुमारी बनाम चरणजीत)
2- अपील संख्या-3976/2000 (अविनाश कुमारी बनाम चरणजीत)

.

श्रीमती सुमित्रा देवी को पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्गत गुजारे हेतु भूमि दी गयी थी उसकी वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पूर्ण मालिक हो जाती है। अमीरचन्द के मृतक पुत्र सरदारचन्द की विधवा होने के नाते भी उसका हक व हिस्सा बनता है। सुमित्रा देवी की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री होने के कारण अमीरचन्द द्वारा समस्त हकों की वसीयत किसी अन्य को नहीं की जा सकती है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा तीन वादों में मात्र एक ही वाद का निर्णय किया है। अन्य दो वादों का निर्णय नहीं किया है तो उन्हें विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिये। अतः न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 6-6-2000 को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 27-5-1991 की पुष्टि की जावे।

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर मोमनराम बनाम चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर खेल कुमारी बनाम शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर खेलकुमारी बनाम विजय

17– **3– अपील संख्या–1938/2000 (विजय कुमार बनाम चरणजीत)**
4– अपील संख्या–2221/2000 (विजय कुमार बनाम अविनाश कुमारी)

सुमित्रा देवी के द्वारा एक वसीयत अपने हिस्से की भूमि 12 बीघा 10 बिस्वा के संबंध में अपीलान्ट विजय कुमार के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। सुमित्रा देवी को यह भूमि पारिवारिक समझौते के आधार पर मिली थी। इस वसीयत के संबंध में कोई तनकी नहीं बनाई गई और सुमित्रा के वाद को खारिज कर दिया गया। जिसकी प्रथम अपील 34/1991 में प्रस्तुत की गयी जो भी खारिज कर दी गयी। पारिवारिक समझौते के आधार पर पूर्व में की गयी अमीरचन्द की वसीयत दिनांक 23–8–2060 निष्प्रभावी मानी जानी चाहिये थी, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वसीयत को प्रभावी मानते हुये शंकरदास की अपील को स्वीकार किया है, जो गलत है। अतः विद्वान राजस्व अपील अधिकारी के निग्रय दिनांक 6–6–2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित सुमित्रा देवी की वसीयत दिनांक 5–3–1980 पर अलग से तनकी बनाकर निर्णय करें।

18– **5– अपील संख्या–1836/2000 (मोमनराम बनाम चरणजीत)**

खातेदार शान्ति देवी बेवा सरदारचन्द के द्वारा जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से स्वीकृती प्राप्त कर विवादग्रस्त आराजीयात के मुरब्बा नम्बर–17 के किला नम्बर–6, 15, 16, 25 की 4 बीघा जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 31–7–1980 को क्रय कर कब्जा काश्त अपीलान्ट का चला आ रहा है। शेष 8 बीघा मुरब्बा नम्बर–17 के किला नम्बर–3 ता 5, 7, 14,17,24 व 13 का 1/2 भूमि जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांक 31–7–1980 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। तभी से काबिज काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में भी बतौर खातेदार उनका नाम चला आ रहा है। अपीलान्ट बोनाफाईड परचेजर है। विचारण न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 6–6–2000 को उनका आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे उनको इस आदेश की निगरानी का भी अवसर नहीं मिला। पारिवारिक समझौते के आधार पर अमीरचन्द की मृत्यु होने पर सहमती से दिनांक 23–2–1972 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश से विक्रेता शांति देवी का नाम राजस्व रिकार्ड में आया था। इस आदेश को कभी भी चैलेन्ज नहीं किया गया।

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर	मोमनराम	बनाम	चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर	खेल कुमारी	बनाम	शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर	खेलकुमारी	बनाम	विजय

पारिवारिक समझौते को 40 वर्षो बाद निरस्त नहीं किया जा सकता है। पारिवारिक समझौते पर सभी के हस्ताक्षर है। अतः उनकी द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 6-6-2000 को निरस्त कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 ता 6 के पक्ष में कुल भूमि 47 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी को अपीलान्ट द्वारा क्रय की गयी 12 बीघा 10 बिस्वा की हद तक निरस्त किया जावे।

19- **6- अपील संख्या-6651/2018 (खेल कुमारी बनाम शंकरदास)**
7- अपील संख्या-6662/2018 (खेल कुमारी बनाम विजय कुमार)

पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्गत इकरारनामा की चरण संख्या-10 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि खेल कुमारी बाकायदा हिस्सेदार है और वह अपना हिस्सा सुमित्रा देवी के फौत होने के बाद अविनाश कुमारी से बराबर बराबर बांट लेगी। भूमि अमीरचन्द के जीवनकाल में ही अपीलान्ट को देना तय कर दिया गया था। पारिवारिक व्यवस्था का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय दिनांक 6-6-2000 निरस्त कर विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 27-5-1991 को सपुष्ट किया जावे व विकल्प में उचित विवाद बिन्दूओं की रचना कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

20- सातों अपीलों पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहससुनी गयी।

21- अपील संख्या-1836/2001 में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि मूल खातेदार अमीरचन्द सन् 1947 में पाकिस्तान से भारत आया था। अमीरचन्द के दो पुत्र सरदारचन्द व शंकरदास थे। सरदारचन्द का स्वर्गवास अपने पिता अमीरचन्द के जीवित रहते ही वर्ष 1960 में हो गया था। सरदारचन्द के तीन पत्नियां थी। शिव देवी, सुमित्रा व शांन्ति थी। शिव देवी का स्वर्गवास पूर्व में हो गया था, उसके एक बेटी खेल कुमारी है। सुमित्रादेवी के एक पुत्री अविनाश कुमारी है तथा तीसरी पत्नि शांति देवी के एक पत्र विजयकुमार व एक पुत्री है। विचारण न्यायालय में तीन दावे प्रस्तुत किये थे। तीनों दावों को कन्सोलिडेट करके विचारण न्यायालय ने दिनांक 27-5-1991 को खेल कुमारी का दावा डिक्री कर विवादग्रस्त आराजीयात मुरब्बा नम्बर-17 रकबा साढे बारह बीघा में से खेल कुमारी व अविनाश कुमारी को बराबर बराबर का हिस्सा घोषित किया था। पारिवारिक समझौते के अनुसार खातेदार अमीरचन्द ने मुरब्बा नम्बर-17 की 25 बीघा सरदारचन्द के

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर मोमनराम बनाम चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर खेल कुमारी बनाम शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर खेलकुमारी बनाम विजय

वारिसान को दिया व मुरब्बा नम्बर–36 की 22 बीघा 10 बिस्वा शंकरदास को दी गयी। मुरब्बा नम्बर–17 की 25 बीघा में 1/2 हिस्सा पारिवारिक समझौते के अनुसार शांति देवी को मिला व राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होने के बाद जिला कलेक्टर से अनुमती लेकर अपना पुरा हिस्सा 12 बीघा 10 बिस्वा दो अलग अलग बयनामे से अपीलान्ट को वर्ष 1980 में बेचान कर दिया। तभी से अपीलान्ट इस भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है एवं राजस्व रिकार्ड में नाम चला आ रहा है।

22– शंकरदास द्वारा जानकारी होने के बावजूद भी क्रेतागण को पक्षकार नहीं बनाया गया। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी के यहां उन्होंने आदेश–1 नियम–10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया जो निर्णय के दिन ही 6–6–2000 को खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट बोनाफाईड परचेजर है, रिकार्डेड खातेदार है। उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिये। अपीलान्ट ने दावा से पहले ही भूमि क्रय की है तो पक्षकार बनाया जाना चाहिये। शांति देवी वर्ष 1972 से रिकार्डेड खातेदार है। प्रथम अपील में मियाद के बिन्दु को भी निर्णित नहीं किया है। शांति देवी की मृत्यु वर्ष 1994 में हो गयी थी। निर्णय दिनांक 6–6–2000 को किया गया है। मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय दिया गया है। साढे बारह बीघा तक अपीलान्ट का हित निहित है। राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय निरस्त किया जावे। विकल्प के रूप में प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर सुनवाई का मौका दिया जावे। जिससे वह अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर सके। आराजीयात पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है, वसीयत नहीं की जा सकती थी। पारिवारिक समझौते के बाद वसीयत प्रभावहीन हो जाती है।

23– अपीलान्ट अविनाश कुमारी के विद्वान अपीलान्ट ने अपनी बहस में बतया कि वसीयत पारिवारिक समझौते के पहले की है। अतः वाद में किया गया पारिवारिक समझौता ही प्रभावी समझा जायेगा। पारिवारिक समझौते के अनुसार मुरब्बा नम्बर–17 की कुल 25 बीघा में साढे बारह बीघा भूमि सुमित्रा देवी को दी गयी थी एवं साढे बारह बीघा भूमि शांति देवी को दी गयी थी। साढे बारह बीघा में से पारिवारिक समझौता अनुसार 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि खेल कुमारी को एवं 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि अपीलान्ट अविनाश कुमारी को दी जानी है। विचारण न्यायालय का निर्णय सही है एवं राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। पारिवारिक समझौते पर सभी के हस्ताक्षर है जिससे वह ESTOPPELE है एवं इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा–115 पूर्णतया लागू होती है। अपीलान्ट विजय कुमार के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट शांति

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर	मोमनराम	बनाम	चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर	खेल कुमारी	बनाम	शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर	खेलकुमारी	बनाम	विजय

देवी का जायन्दा पुत्र है। अमीरचन्द के द्वारा पुरी संपत्ति का ही पारिवारिक समझौता किया है। कृषि भूमि के अलावा अन्य सम्पत्ति भी है। यह न्यायसंगत नहीं है कि पारिवारिक समझौते के अनुसार दुकान व मकानात को स्वीकार कर लिया जावे एवं कृषि भूमि में उसे नहीं माना जाकर वसीयत को माना जावे। सुमित्रा देवी ने अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत कर दी थी। राजस्व अपील अधिकारी ने फैमिली सेटलमेन्ट को नहीं मानने में भूल की है। फैमिली सेटलमेन्ट पर सभी के हस्ताक्षर है। वसीयत जिसके पक्ष में की गयी है, उसके भी हस्ताक्षर है। दुकान, मकानात व अन्य जायदाद का बंटवाडा जब पारिवारिक समझौते के आधार पर कर लिया गया है तो कृषि भूमि के मामले में भी इसे माना जाना न्यायोचित है।

24– अपीलान्ट खेल कुमारी के विद्वान अभिभाषक ने भी अपनी बहस में पारिवारिक समझौते के आधार पर ही निर्णय किये जाने हेतु निवेदन किया। उनका कथन है कि वसीयत के बाद ही पारिवारिक समझौता किया है। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने पक्ष में **D.N.J. 1998 (S.C.) Page-150, A.I.R. 2006 (S.C.) Page-1895, A.I.R. 1990 (S.C.) Page-396, A.I.R. 1990 (S.C.) Page-1742, D.N.J. 1995 (S.C.) (Raj.) Page-367, R.B.J. 2007(14) Page-70** न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

25– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बहस के जवाब में बताया कि विवादग्रस्त आराजीयात मुरब्बा नम्बर–17 व 36 अमीरचन्द की खातेदारी की भूमि थी व स्वअर्जित सम्पत्ति थी। अमीरचन्द के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत शंकरदास के पक्ष में की गयी थी। इस वसीयत को निरस्त नहीं करवाया गया है। फेमिली सेटलमेन्ट नहीं हुआ है। बल्कि इकरारनामा हुआ था। भूमि बैंक के रहन थी। इकरारनामा की शर्तो की पालना नहीं की गयी। दो महिने में भूमि का हस्तान्तरण जरिये रजिस्टर्ड सैल–डीड से किया जाना था। पांच हजार रूपये नहीं दिये गये। इकरारनामा समाप्त हो गया। वसीयत को कहीं भी चैलेन्ज नहीं किया गया। शान्ता भाटिया के बयानों में यह स्पष्ट आया है कि इकरारनामा की शर्तो की पालना नहीं की गयी। शान्ता भाटिया ने मुरब्बा नम्बर–17 की आधी जमींन साढे बारह बीघा मोमनराम को बेच दी गयी। उस समय विचारण न्यायालय में दावा चल रहा था। दावा में स्पष्ट अंकित है कि भूमि का सौदा कर लिया गया है, नाम की जानकारी नहीं होने से क्रेतागण को पक्षकार भी कैसे बनाते। इकरारनामा से कोई टाईटल नहीं मिलता है। इकरारनामा की शर्तो की पालना नहीं की गयी है। यदि इस इकरारनामा को फेमिली सेटलमेन्ट मानते हैं तो यह रजिस्टर्ड होना चाहिये। विभाजन हुये बिना किला नम्बर से रजिस्ट्री कैसे हो सकती थी। शान्ता भाटिया

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर	मोमनराम	बनाम	चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर	खेल कुमारी	बनाम	शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर	खेलकुमारी	बनाम	विजय

को इकरारनामा से ही अधिकार मिलते हैं। ऐसे इकरारनामा का कोई महत्व ही नहीं है। दिनांक 19-9-1994 को शान्ता भाटिया का स्वर्गवास हो गया है। जिससे वारिसान में से विजय कुमार पहले से ही रिकार्ड पर था। इसे वारिस पुत्री शाशी थी जिनके द्वारा आदेश-1 नियम-10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था। दिनांक 18-1-1996 को पक्षकार बना लिया गया था। अनरजिस्टर्ड डोक्यूमेन्ट से टाईटल नहीं मिलता है। अविनाश कुमारी, खेल कुमारी, विजय कुमार तीनों का ही विवादग्रस्त आराजीयात में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। शान्ता भाटिया का हक व अधिकार बनता है। विजय कुमार व शशि ने शान्ता भाटिया के साढे बारह बीघा के हिस्से का क्लेम नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपने पक्ष में **R.B.J. 1997 Page-133, R.R.D 1990 Page-548, R.R.T. 2009 Page-677, R.R.T. 2009 Page-1425, R.L.W. 1999 Page-1358, R.B.J. 1997 Page-355, R.R.T. 2015 Page- 232, D.N.J. 2013 (Rev.) Page- 249, D.N.J. 2008 (S.C.) Page-337, R.B.J. 1998 Page- 443, R.B.J. 1997 Page- 316, D.N.J. 2009 Page- 1496 , R.B.J. 2003 Page- 290, R.R.T. 2001 Page- 244, R.R.T. 2015 Page- 1214, R.R.D. 1973 Page-53, DNJ 2014 (Raj.) Page- 644, D.N.J. 2013 (Raj.)431, R.R.D. 1992 Page-117, R.R.D. 1996 Page- 457 and R.B.J. 2010 Page- 628** न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

26- रिबटल में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि शंकरदास का दावा वसीयत के आधार पर है, जबकि वसीयत को प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा-168 के अनुसार वसीयत को दो गवाहान के द्वारा प्रमाणित करवाना चाहिये। वसीयत को रजिस्टर्ड / अनरजिस्टर्ड दोनों ही परिस्थितियों में प्रमाणित करना होगा। फेमिली सेटलमेन्ट पर सभी के हस्ताक्षर है। सन् 1960 की वसीयत है, सन् 1961 में फेमिली सेटलमेन्ट है तो बाद वाले को ही मान्यता दी जावगी। फेमिली सेटनमेन्ट में भी दोनों पुत्रों के वारिसान को आधा आधा है तो विरासत के आधार पर भी दोनों के वारिसानों को आधा आधा मिलना है। राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय सही नही है व विचारण न्यायालय का निर्णय सही है। राजस्व अपील अधिकारी के आदेश से ही सदभावी क्रेता प्रभावित हुये हैं। इकरारनामा लिखने से उसे इकरारनामा नहीं माना जा सकता है। उसमें जो तथ्य लिखे हुये है उसे ही देखा जायेगा। यह अन्तिम वसीयत है इसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है।

27- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर मोमनराम बनाम चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर खेल कुमारी बनाम शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर खेलकुमारी बनाम विजय

28- अपील संख्या-1836/2000 शीर्षक मोमनराम बनाम चरणजीत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-41 नियम-27 सी.पी.सी. का प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थना पत्र में अंकित दस्तावेज पब्लिक डोक्यूमेन्ट है व प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। अतः पर्चा खतौनी दिनांक 30-8-1972 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, श्रीगंगानगर बेयनामा दिनांक 31-7-1980, 20-3-1986 नकल जमाबन्दी संवत 2035 से 2038 इन्तकाल संख्या-57, 67 जमाबन्दी संवत 2055 व पानी की पर्ची नम्बर-32 व 33 को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह निर्विवाद है कि विवादग्रस्त आराजीयात अमीरचन्द की खातेदारी की भूमि थी एवं स्वअर्जित थी। अमीरचन्द के द्वारा एक रजिस्टर्ड वसीयत रेस्पोन्डेन्ट शंकरदास के नाम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-8-1960 को की गयी थी। खातेदार अमीरचन्द के द्वारा दिनांक 18-3-1961 को फेमिली सेटलमेन्ट (इकरारनामा) किया गया। इस इकरारनामा पर स्वयं अमीरचन्द पुत्र शंकरदास व बडे सरदारचन्द की पत्नि सुमित्रा देवी, शान्ता व पुत्री खेल कुमारी के हस्ताक्षर है। गवाहान के रूप में मदनलाल वल्द हेमराज भाटिया, गुरूदयाल वल्द इसरदास व हरदयाल भाटिया के हस्ताक्षर है। अमीरचन्द के दो पुत्र सरदारचन्द व शंकरदास थे। सरदारचन्द की मृत्यु इकरारनामा लिखे जाने की दिनांक से पूर्व में ही हो चुकी थी। सरदारचन्द की तीन पत्नियां थी। पहली पत्नि शिवदेवी का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था, इससे एक पुत्री खेल कुमारी है। दुसरी पत्नि सुमित्रा देवी है, इससे एक पुत्री अविनाश कुमारी है एवं तीसरी पत्नि शान्ता देवी है, जिसके एक पुत्र विजय कुमार व एक पुत्री शशि है। इस इकरारनामा के द्वारा कृषि भूमि के अलावा अन्य जायदाद का भी निपटारा किया गया है। इस इकरारनामा में यह अंकन है कि मु. नं. 17 की 25 बीघा भूमि सुमित्रा देवी एवं शान्ता के नाम कर देने हेतु अमीरचन्द पाबन्द रहेगा। शंकरदास को मुरब्बा नम्बर-43 के 23 बीघा दी जायेगी। सरदारचन्द के हिस्से में से खेल कुमारी बाकायदा हिस्सेदार है और वह अपना हिस्सा सुमित्रा देवी की मृत्यु के बाद अविनाश कुमारी से बराबर बांट लेगी, जो सुमित्रा देवी के हिस्से में हिस्सा आया है। सुमित्रा को यह हिस्सा रहन बय मुन्तकिल करने का कोई हक हासिल नहीं होगा।

29- सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 23-2-1972 में यह आदेशित किया है कि सुमित्रा देवी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22-2-1968 में मुरब्बा नम्बर-17 प्रार्थिया के खाते में दर्ज करने हेतु आवेदन किया है जिस पर शंकरदास द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया। इसी के साथ वसीयतनामा की नकल पेश की गयी। बयान शंकरदास

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर	मोमनराम	बनाम	चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर	खेल कुमारी	बनाम	शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर	खेलकुमारी	बनाम	विजय

के द्वारा नहीं दिया गया। पेशी के दिन सबूत पेश करने के मोहलत चाह रहे प्रार्थिया की ओर से इकरारनामा की नकल पेश की गयी, जो रजिस्टर्ड नहीं है। किन्तु दिनांक 18-3-1961 की है जिसे वसीयत के बाद लिखा गया है। पेशशुदा प्रमाणों से यह प्रमाणित है कि मृतक अमीरचन्द द्वारा वसीयत लिखने के पश्चात मृतक अमीरचन्द ने बाहमी रूप से अपनी जायदाद का बंटवाडा किया है। दोनों मुरब्बों में से एक मुरब्बा सुमित्रा व शान्ति देवी को व एक मुरब्बा अपने पुत्र शंकरदास को दिया। इस इकरारनामा से पूर्व में की गयी वसीयत समाप्त का संबंध नहीं है। शंकरदास द्वारा प्रस्तुत दलील वसीयत के मुताबिक दोनों मुरब्बा शंकरदास के रखे गये हैं। काबिल स्वीकृती नहीं रहते हैं। अतः मुरब्बा नम्बर-17 की 25 बीघा सुमित्रा देवी व शान्तादेवी बेवा सरदारचन्द के नाम व हिस्सा बराबर व मुरब्बा नम्बर-36 की 23 बीघा भूमि शंकरदास के नाम दर्ज करने की स्वीकृती दी जाती है।

30- इस फैसले के बाद यह दोनों मुरब्बे पर अमीरचन्द का नाम हटाकर मुरब्बा नम्बर-17 सुमित्रा देवी, शान्ता बेवा सरदारचन्द एवं मुरब्बा नम्बर-36 पर शंकरदास का इन्द्राज किया गया है।

31- अपीलार्थी मोमनराम ने उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत तत्कालीन प्रभावी नियमों के अनुसरण में जिला कलेक्टर से क्रय की अनुमति लेकर भूमि का क्रय जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड से किया था जिससे वह एक सदभावी क्रेता है। रेस्पोन्डेन्ट शंकरदास को भूमि विक्रय की जानकारी भी होना दावा में अंकित किया है तो फिर उन्हें पक्षकार बनाना चाहिये। क्रेता मोमनराम वर्ष 1980 से ही राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है तो वह एक हितबद्ध पक्षकार है एवं इन्हें अपील लाने का पूर्ण अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर.बी.जे. 2005(12) अमित कुमार बनाम करिडा खातून के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

> Code of procedure 1908 Order 1 Rule 10 and Order 22 Rule 10 - Addition of party - Transferee pendente lite can be added as a proper party if his interest in the subject matter of suit is substantial and not just peripheral.

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर मोमनराम बनाम चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर विजय कुमार बनाम अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर अविनाश कुमारी बनाम चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर खेल कुमारी बनाम शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर खेलकुमारी बनाम विजय

32– जहां तक फेमिली सेटलमेन्ट के रजिस्ट्रेशन का प्रश्न है इस प्रश्न पर ए.आर.आर. 1991 (केरला) पेज–266 में यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

> Registration Act 1908 Sec. 17 - Registration of documents - agreement by way of Family Settlement settling all disputes between parties - Doesnot require Registration.

33– वसीयत के बाद पारिवारिक सेटलमेन्ट (इकरारनामा) खातेदार अमीरचन्द के द्वारा किया गया है जिस पर रेस्पोन्डेन्ट शंकरदास के हस्ताक्षर है तो वह अब इसे मानने के लिये बाध्य है। यदि शंकरदास को कोई आपत्ति थी तो इन्हें वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिये। जब सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के द्वारा इनकी वसीयत को नहीं मानकर फेमिली सेटलमेन्ट के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश सन् 1972 में पारित किये गये थे तो इनके द्वारा इसे चैलेन्ज क्यों नहीं किया गया। वसीयत के बाद नया सेटलमेन्ट किये जाने पर ऐसी वसीयत प्रभावहीन ही मानी जायेगी। क्योंकि वसीयतकर्ता के द्वारा ही सोच समझकर ही पारिवारिक सेटलमेन्ट किया गया है एवं इस पर परिवार के अन्य सदस्यों ने भी बतौर अपनी सहमति के हस्ताक्षर किये हैं। यदि रेस्पोन्डेन्ट शंकरदास को इस पर आपत्ति थी तो उसे हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये। पिता द्वारा किये हुये पारिवारिक सेटलमेन्ट पर हस्ताक्षर करने का आशय यही है कि उसने पिता द्वारा की गयी वसीयत के दावा को त्याग कर दिया है। यही माना जायेगा कि पूर्व में पिता अमरचन्द का मानस ओर था, बाद में परिवर्तन हुआ। हुये परिवर्तन के आधार पर उसने फेमिली सेटलमेन्ट कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि उसे फेमिली सेटलमेन्ट की कोई जानकारी ही नहीं है। जबकि अन्य सभी पक्षकारों व गवाहों से इसे किया हुआ होना माना है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के द्वारा नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश को भी चैलेन्ज नहीं किया। उसमें भी यह माना जायेगा कि वह इससे सहमत है। खातेदार अमीरचन्द के दो पुत्र है। अमीरचन्द के द्वारा धारित दोनों मुरब्बों को दोनों पुत्रों के वारिसान में एक एक मुरब्बा दिया गया है व विरासत के आधार पर भी दोनों पुत्रों के वारिसान को एक एक मुरब्बा ही मिलना था। जब फेमिली सेटलमेन्ट को मानकर के सभी ने हस्ताक्षर किये हैं तो उसकी शर्तो की भी पालना करनी होगी। जिससे मुरब्बा नम्बर–17 की 25 बीघा भूमि आधी–आधी सुमित्रा देवी व शान्ता देवी को दे दी गयी है व सुमित्रा देवी को मुन्तकिल करने का अधिकार नहीं दिया हुआ है एवं फौत होने पर साढे बारह बीघा का आधा हिस्सा खेल कुमारी का व आधा हिस्सा अविनाश कुमारी

(1) अपील डिक्री/ टी.ए./1836/2000/श्रीगंगानगर	मोमनराम	बनाम	चरणजीत
(2) अपील डिक्री/ टी.ए./1938/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	चरणजीत
(3) अपील डिक्री/ टी.ए./2221/2000/श्रीगंगानगर	विजय कुमार	बनाम	अविनाश कुमारी
(4) अपील डिक्री/ टी.ए./2618/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(5) अपील डिक्री/ टी.ए./3976/2000/श्रीगंगानगर	अविनाश कुमारी	बनाम	चरनजीत
(6) अपील डिक्री/ टी.ए./6651/2018/श्रीगंगानगर	खेल कुमारी	बनाम	शंकरदास
(7) अपील डिक्री/ टी.ए./6662/2008/श्रीगंगानगर	खेलकुमारी	बनाम	विजय

का रहेगा। तो सुमित्रा देवी के द्वारा विजय कुमार के नाम से की गयी वसीयत को सही नहीं कहा जा सकता है। दादा अमीरचन्द के द्वारा दो पुत्रवधुओं की दो लडकियों की बराबर बराबर हिस्सा दिया है व एक पुत्रवधु शान्ता देवी को साढे बारह बीघा भूमि दी गयी है। शान्तादेवी के द्वारा प्रतिफल लेकर इस भूमि का बेचान अपीलान्ट मोमनराम को कर दिया गया है। मोमनराम सदभावी क्रेता है जिसके नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज है उसे बिना सुने ही उसके हिस्से की भूमि को रेस्पोन्डेन्ट शंकरदास के नाम वसीयत के आधार पर करने के आदेश दिये गये है, जो विधिसम्मत नहीं है।

34- खातेदार अमीरचन्द के अपने परिवार के सदस्यों में महज आपसी सहमति से फेमिली सेटलमेन्ट किया गया था जिस पर सभी के हस्ताक्षर है। यह वसीयत करने के बाद लिखा गया है जिससे पूर्व में की गयी वसीयत निष्प्रभावी हो जाती है। ऐसे पारिवारिक समझौते का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट शंकरदास ने भी इस पर हस्ताक्षर किये हैं। वसीयत के बाद लिखा गया अन्तिम दस्तावेज है। जिससे पूर्व की वसीयत का कोई महत्व नहीं रह जाता है। रेस्पोन्डेन्ट शंकरदास पारिवारिक समझौते को स्वीकार कर लेने के बाद इसके विपरीत कथन करने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-115 के अनुसार विवधित है।

35- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर विद्वान राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6-6-2000 निरस्त किया जाकर विद्वान उप खण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-5-1991 को यथावत रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष